

न्यायालय सप्लाइ अधिकारी महोदय पिछावा जिला झालवाड राज0

2

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम बागलवाडी जमाबंदी सं. 2073-26 के खाता सं. 305 में दर्ज खातेदार/वादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

शू प्रबंध खाती/खाता सं.	शू प्रबंध स्वतन्त्री अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		305	धुगामाल पुत्र भागीलाल हि- भूख जाति- बगई सा. ६६	धुगामाल पुत्र भागीलाल हि- २२ 1/6 जाति- मेहर सा. ३६

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

- असणामिंद / लोचनमिंद सोधिप
- सरफारमिंद / भोगीलाल सोधिप
-
-

हस्ताक्षर

असणामिंद
सरफारमिंद
.....
.....

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम बागलवाडी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /शू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

असणामिंद
हस्ताक्षर पटवारी
प०म० बागलवाडी

रिपोर्ट भू०अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

असणामिंद
भू०अभिलेख निरीक्षक
भू०अ०नि०

रिपोर्ट तहसीलदार/पेशेकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम वांसरवेडी के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार
तहसीलदार
पिडावा जि. झालावाड

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 196

दिनांक : 26/9/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम वांसरवेडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा जि. झालावाड राज0